

15/22

छात्रों के अधिवक्ता उपस्थित। विद्यार्थियों
की तलबी हेतु रजिस्ट्री करवा सहित
नोटिस पेश करते की आदेशिका दि.
05.11.19 की पालना करीब 2 वर्ष
6 माह की लम्बी समयवधि के
बावजूद नहीं की गई है। अधिवक्ता
छात्रों को इस बाबत बार-बार
हिदायत दी गई है। छात्रों
का यह धर्ना-पत्र अदालत पालना
न्यायालय आदेश में खारिज किया
जाता है। मिसल में सुमार होकर
संख्या है कम हो व दाखिल दफ्तर हों।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)